

फर्द अहकाम

अज अदालत अति० जिला कलेक्टर.....मुकामटोंक²

गिराज..... बनामतहसीलदार मालपुरा वगै०

किस्म मुकदमा.....अपील ..नं०.....19...सन.... 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-5-19	<p>अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष खसरा नम्बर 496/7 रकबा 5 बिस्वा मे से 0.02 बिस्वा (302.5 वर्गमीटर) भूमि का कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य मे रूपान्तरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राज० राजस्व नियम 2007 की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 3 के हक मे कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु रूपान्तरण के आदेश दिनांक 01.03.2016 को पारित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिक्षालय रोड से 40 फीट की परिधि मे बने हुये है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को लाभ पहुंचाने के लिये नहीं की गई ओर न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं अपने स्तर पर मौका देखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आदेश को स्थगित किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 3 को पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि पर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिक्षालय को घवस्त नहीं करे तथा आम जनता के उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की बेजा मजाहमत तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करे।</p> <p>हमने बहस अभिभाषक अपीलांट एक तरफा सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में तहसीलदार मालपुरा द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.03.2016 (रूपान्तरण) को स्थगित करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 को पाबंद किया जाता है कि विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2019 तक नहीं करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसल भी मंगवाई जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2019 को पेश हो।</p>	<p>54-857 15-5-19</p>

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
- टोंक -

17/19

इच्छित रूपान्तरण के पत्रावली दिनांक 04.07.2019

अप्रार्थी संख्या 3 के हक में कृषि भूमि का रूपान्तरण

के आदेश को स्थगित करने के लिए

अप्रार्थी संख्या 1-3 के हक में कृषि भूमि का रूपान्तरण

गिराज
पु.सं. 4171/3
0.02 बिस्वा
No 3
1-फि-0
(मां-सलीम)

पूनी सीमा रेखा की सड़क की मध्य रेखा से 40 मीटर दूरी है जो तत्पश्चात मुताबिक राजस्व जायदाद संपत्तिक आवेदन की छातेदारी शुक्ति वास्ते संपत्तिक शेष बचता है या नहीं। इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी दिनांक (पेशी) 26-11-2020 से पूर्व उपरिष्ठ है। स्टेथावत रहेगा।

1357
3/11/2020

बतिरक्त जिला कलेक्टर
दोंब

26-11-2020

आम्बि - उम्भयपन्न उप। तहसीलदार मालपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आगए। स्थान आदेश की अवधि निमत दिनांक तक बढ़ायी जायी है। फावली इंतजार रिपोर्ट दिनांक 17-12-2020 की पेशा है।

बतिरक्त जिला कलेक्टर
दोंब

17-12-2020

आम्बिआसत उम्भयपन्न उप। तहसीलदार मालपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आगए की जाये। स्थान आदेश की अवधि निमत दिनांक तक बढ़ायी जाकर फावली दिनांक 8-1-2021 की पेशा है।

बतिरक्त जिला कलेक्टर
दोंब

8-1-21

आम्बिआसत रैस्पौ. उप। तहसीलदार मालपुरा से रिपोर्ट आगए हुई। आम्बिआसत अपीलान्त अनुपस्थित नही है। आम्बिआसत अपीलान्त के आवाज लगाई गई। आम्बिआसत अपीलान्त उपस्थित नही है। आम्बिआसत रैस्पौ. ने उपस्थित होकर पकरा में बहस करने हेतु पुरजौर निवेदन किया। आम्बिआसत अपीलान्त के आवाज लगाई गई। आम्बिआसत अपीलान्त उपस्थित नही है। आम्बिआसत रैस्पौ. का कथन है कि अपीलान्त पकरा में एक तरफ स्थान लेकर पकरा को बरत खींचना चाहता है। अतः अपीलान्त बार-बार आवाज के बलपूर्व भी बहस है।

1774
2/12/2020

बतिरक्त जिला कलेक्टर
दोंब

उपस्थित नहीं होता है तो अपीलान्त द्वारा प्राप्त किया गया एक तरफा स्थगन आदेश खारिज किया जावे। अभिभाषक अपीलान्त को पुनः बार-बार आवाज खावाड़ी गई। अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण में जारी एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 15/05/2019 को खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते उद्देश्य दिनांक 15/01/2021 को पेश हो। इतना लिखने के उपरान्त अभिभाषक अपीलान्त ने साथे 4 बड़े उपस्थित होकर प्रथम पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावली पेश किया। पत्रावली दिनांक 15/01/2021 को पेश हो।

[Signature]
धार्तरिक्त जिला कलेक्टर,
दोंब

15/1/2021

अभिभाषक उभयपक्ष उप। अभिभाषक अपीलान्त संख्या-3 प्रा० पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावलीका जवाब पेश करना चाहते हैं प्रा० पत्र की नकल दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रथम-पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावली दिनांक 5-2-2021 को पेश हो।

[Signature]
धार्तरिक्त जिला कलेक्टर,
दोंब

5/2/21

अभिभाषक उभयपक्ष उप। अपीलान्त से वापिसवृत्त के हुई है। माननीय चापलस राजस्य हजल राजा अफ्दर की प्रथम-पत्र मुत्तकिली अन्तर्गत चाप 233 प्राप्त हुआ है जिसमें अफ्दर नामित केवी 16-4-21 दिनांक है पत्रावली वास्ते जवाब प्रथम पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावली दिनांक 15-2-21 को पेश हो।

[Signature]